न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82/2017	14.11.2017	02.06.2025

1. चुन्नीलाल पिता हरचंद उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा।
2. रामनारायण पिता हरचंद उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा।

—— वादीगण

बनाम

1. बाबुलाल उर्फ बालुलाल पिता हरचन्द उर्फ हरीशचन्द कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा हाल बापुनगर भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
3. लालूराम पिता हरचंन्द उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी चर्च के पास, जवाहरनगर भीलवाडा
4. विजय कुमार पिता सीताराम खटीक, निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाडा

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा – 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता वादीगण श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम केवाडा प0ह0 भीलवाडा–II तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है जिसके विवरण निम्न प्रकार है :– खाता संख्या 192 में आराजी नम्बर 718/1 रकबा 00–18 बीघा, आराजी नम्बर 723/1 रकबा 00–19 बीघा, आराजी नम्बर 729/1 रकबा 00–06 बीघा, आराजी नम्बर 751/1 रकबा 01–00 बीघा कुल ति 04 कुल रकबा 03–03 बीघा भूमि एवं खाता संख्या 190 में आराजी नम्बर 746 रकबा 01–03 बीघा एवं खाता संख्या 191 में आराजी नम्बर 717 रकबा 00–02 बीघा भूमि स्थित है।

खाता संख्या 192 आराजी नम्बर 718/1, 723/1, 729/1.751/1 कुल किता 04 चार कुल रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि में 1/10 वां हिस्सा, खाता संख्या 190 आराजी नम्बर 746 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि में 2/30 वां हिस्सा, खाता संख्या 191 आराजी नम्बर 717 रकबा 02 बिस्वा भूमि में 2/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य खातेदारान के शामलाती रूप दर्ज है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 आपस में भाई होकर हरचन्द उर्फ हरिशचन्द के लड़के है, प्रतिवादी संख्या 01 उपरोक्त खातो में वर्णित आराजियात में कोई हक व हिस्सा नहीं रखने से, अपना कुलिया हक व हिस्सा, वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड रीलीज डिड (हक परित्याग पत्र) दिनांक 20.02.2017 को उप–पंजीयक भीलवाडा के यहाँ अपनी स्वेच्छा व राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव के उपस्थित होकर निष्पादित कर दिया है, रीलीज डिड (हक परित्याग पत्र) की फोटो प्रति इस वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड रीलीज डिड (हक–परित्याग पत्र) के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया किन्तु पटवारी हल्का ने रजिस्टर्ड रीलीज डिड (हक परित्याग पत्र) दिनांक 20.02.2017 के आधार पर, इस आधार पर नामान्तकरण खोलने से मना कर दिया कि दस्तावेज में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य से जो सम्बन्ध बताया गया वह, पुत्रो के हक मौरूसी सम्पति का रीलीज किया जाना बताया है जो कि गलत है, इसलिए नामान्तकरण नही खोला जा सकता है, जबकि दस्तावेज निष्पादन कर्ताओ के मध्य भाई का सम्बन्ध होना स्पष्ट साबित है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला जाकर, पुनः संशोधन कराया जाने या न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी गई, जिससे वादीगण ने, संशोधन तैयार करवा, प्रतिवादी संख्या 01 को संशोधन हेतु दिनांक 12.08.2017 को निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने भी पुनः दस्तावेज निष्पादन के लिए मना कर दिया, जिससे वादीगण के और से रजिस्टर्ड रीलीज डिड (हक परित्याग पत्र) दिनांक 20.02.2017 के आधार पर, राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाकर, वादीगण को खातेदार कास्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी कराई जाने हेतु वादीगण की और से यह वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 के पैरा "क" खाता संख्या 192 आराजी नम्बर 718/1, 723/1, 729/1, 751/1 कुल किता 04 कुल रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि में 1/10 वां हिस्सा, खाता संख्या 190 आराजी नम्बर 746 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि में 2/30 वां हिस्सा, खाता संख्या 191 आराजी नम्बर 717 रकबा 02 बिस्वा भूमि में 2/30 वां हिस्सा यानि अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से के बाबत् प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड रीलीज डीड दिनांक 20.02.2017 के आधार पर वादीगण को खातेदार कास्तकार घौषित किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाकर दुरस्थी कराई जावें।

प्रार्थी लालूराम पिता हरचंद कोली निवासी चर्च के पास, जवाहनगर, भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि स्व. हरचंद जी कोली के हम पांच पुत्र लालूराम चुन्नीलाल रामनारायण. फतहलाल व बाबूलाल हैं जिनके संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम केवाड़ा के खाता सं. 192 में आराजी सं. 718/1 723/1 729/1, 751/1 किता 04 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा (0.7967 हैक्टेयर) भूमि व खाता सं. 190 में आराजी सं. 746 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खाता सं. 191 में आराजी सं. 717 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि स्थित है। मुझ प्रार्थी के भाई चुन्नीलाल रामनारायण ने हमारे एक भाई बाबूलाल के विरूद्ध घोषणा, इन्दाज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वादपत्र बाबूलाल द्वारा वादीगण चुन्नीलाल व रामनारायण के पक्ष में निष्पादित तथाकथित रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांकित 20–02–2017 के आधार पर बाबूलाल के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होने व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में मैं प्रार्थी लालूराम जिसका नाम उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज है फिर भी वादीगण ने मुझ प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाते हुए मेरे हिस्से की भूमि के बाबत् भी अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे मेरे खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है जबकि मैंने खाता सं. 192 में अंकित भूमि के विभाजन हेतु न्यायालय आपमें वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें तारीख पेशी 18–01–2023 की नियत है । चूंकि वादीगण ने इस वाद के साथ संलग्न धारा 212 रा.टि.ए. के प्रार्थनापत्र प्रकरण सं. 113/2019 में उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे मुझ प्रार्थी के हितों की सुरक्षा हेतु व मेरे विरूद्ध स्थगन आदेश को अपास्त कराये जाने हेतु मुझ प्रार्थी को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ।

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थना है कि इस प्रकरण में मुझ प्रार्थी लालुराम पिता हरचंद जी कोली को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित कराया जावें और मेरे हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेश को अपास्त कराया जावें।

प्रार्थी विजय कुमार पिता सीताराम खटीक निवासी सांगानेर गेट, भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि मुझ प्रार्थी ने खातेदार श्रीमती मांगी पत्नी नाथू कोली निवासी भीलवाड़ा से ग्राम केवाड़ा तहसील भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर (01 बीघा 06 बिस्वा) भूमि में दर्ज उसका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 19–11–2004 द्वारा क्रय किया था जो नामान्तरकरण सं. 482 दिनांक 02–12–2004 से मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है और इस आराजी पर उक्त हिस्से अनुसार मुझ प्रार्थी का कब्जा आज पर्यन्त निरंतर चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत कराये गये उक्त विक्रयपत्र दिनांकित 19–11–2004 को निरस्त कराने हेतु इस वादपत्र के वादीगण चुन्नीलाल व रामनारायण एवं प्रतिवादी सं. 1 बाबुलाल एवं अन्य द्वारा श्रीमान् सिविल जज सा. पश्चिम भीलवाड़ा के न्यायालय में एक वादपत्र सं. 121/2007 ई.दी. प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 31–05–2018 को खारिज कर दिया गया है। इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी नं. 746 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में मुझ प्रार्थी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है जिसकी पूरी जानकारी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को प्रारम्भ से ही है किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर मुझ प्रार्थी को इस वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि मैं प्रार्थी उक्त क्रयशुदा भूमि का स्वामी व काबिज हूँ और इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता हूँ। उक्त आराजी नं. 746 की जमाबंदी की प्रति निकलवाने पर मुझ प्रार्थी को इस वादपत्र व इसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र सं. 113/2019 की जानकारी हुई जिस पर मैंने इस वादपत्र व स्थगन प्रार्थनापत्र की नकलें प्राप्त की। मुझ प्रार्थी ने उक्त भूमि सप्रतिफल क्रय की है एवं प्रार्थी सद्भावी क्रेता होने से इस वाद में आवश्यक पक्षकार हूँ। अगर मुझ प्रार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो मेरे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा जिससे प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मुझ प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल पिता हरचंद कोली निवासी भीलवाडा द्वारा निम्नलिखित जवाबदावा पेश कर अंकित किया है कि वादपत्र में वर्णित आराजियात संख्या 718/1, 723/1, 729/1, 751/1 किता क्षेत्रफल 0.7967 हैक्टेयर केवल वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज नहीं है बल्कि ये आराजियात चुन्नीलाल फतहलाल बाबूलाल रामनारायण लालूराम पिता हरचंद जी कोली निवासी भीलवाड़ा के संयुक्त खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है जिसमें मुझ प्रतिवादी बाबूलाल का 1/10 हिस्सा दर्ज है और वाद में अंकित आराजी सं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर उक्त चुन्नीलाल, फतहलाल बाबूलाल रामनारायण, लालूराम कोली व विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें 1/3 हिस्सा विजयकुमार खटीक का है एवं मुझ प्रतिवादी सं. 1 बाबूलाल का 1/15 हिस्सा दर्ज है एवं वादपत्र में अंकित आराजी नम्बर 717 रकबा 0.0253 हैक्टेयर गै.मु.आ.चाह चुन्नीलाल फतहलाल बालूलाल रामनारायण लालूराम पिता हरचंद कोली व अन्य खातेदारान के संयुक्त खाते में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादपत्र में प्रतिवादी सं. 1 का जो हिस्सा वादग्रस्त भूमि में दर्शाया गया है वह गलत है बल्कि सही हक हिस्सा इस जवाबदावे की धारा सं. 1 में दर्शाया गया है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आराजियात में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में कभी भी हकत्यागपत्र के जरिये रिलीज नहीं किया था। मैंने कोई भी हक परित्यागपत्र दिनांक 20–02–2017 या अन्य किसी तारीख को वादीगण के पक्ष में पंजीकृत नहीं कराया था। वादीगण ने फर्जी हकत्यागपत्र बनाया है जिससे कोई भी हक अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकते है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 के भरणपोषण का एकमात्र जरिया उक्त आराजियात है इसके अलावा मेरी आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। में प्रतिवादी अविवाहित होकर माता के साथ अकेला रहता था व माता की सेवा चाकरी आजीवन मैंने ही की थी तो मैं क्योंकर अपने हक हिस्से का परित्याग वादीगण के पक्ष में करूंगा जबकि उनके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है। वादीगण मेरे साथ मारपीट करके मुझे परेशान करते रहते हैं व मेरे हिस्से की जमीन वे हडपना चाहते है । वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्तनीय है। तथाकथित फर्जी हकत्यागपत्र के आधार पर वादीगण को नामान्तरकरण अपने पक्ष में खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का ने ऐसे फर्जी हकत्यागपत्रा के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खोलकर सही काम किया है। चूंकि वादीगण ने फर्जी हकत्यागपत्र बनाया था उसमें जो अंकन "पुत्रों के हक में मौरूसी सत्पत्ति का रिलीज किया जाना" लिखा है वह देवीय कृपा से स्वतः ही हो गया था क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। इसी झूठ को फेल करने के लिये भगवान ने यह खेल किया है अन्यथा फर्जी व झूठे हकत्यागपत्र के आधार पर वादीगण मेरे हक हिस्से की भूमि अनाधिकार हड़पने में सफल हो जाते । चूंकि मैंने कोई हक त्यागपत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत कराया ही नहीं था तो संशोधित हकत्यागपत्र निष्पादन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । वादीगण फर्जी हकत्यागपत्र के आधार पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड से हटवाकर मेरे स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्तनीय है। किसी भी दस्तावेज में संशोधन करने व संशोधन का पंजीकरण करने बाबत् आदेश देने का कोई भी क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यांयालय का नहीं होता है. ऐसा अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही होता है, ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वादपत्र माननीय राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या व निराधार होने से निरस्तनीय है ।

वादपत्र में वर्णित आराजियात सं. 718/1 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज नहीं है बल्कि ये आराजियात चुन्नीलाल फतहलाल बाबूलाल रामनारायण लालूराम पिता हरचंद जी कोली निवासी भीलवाड़ा के संयुक्त खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है जिसमें मुझ प्रतिवादी बाबूलाल का 1/10 हिस्सा दर्ज है और वाद में अंकित आराजी सं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर उक्त चुन्नीलाल, फतहलाल बाबूलाल, रामनारायण लालूराम कोली व विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें 1/3 हिस्सा विजयकुमार खटीक का है एवं मुझ प्रतिवादी सं. 1 बाबूलाल का 1/15 हिस्सा दर्ज है एवं वादपत्र में अंकित आराजी नं. 717 रकबा 0.0253 हैक्टेयर गै. मु.आ. चाह चुन्नीलाल फतहलाल, बालूलाल रामनारायण, लालूराम पिता हरचंद कोली व अन्य खातेदारान के संयुक्त खाते में दर्ज है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आराजियात में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में कभी भी हकत्यागपत्र के जरिये रिलीज नहीं किया था। मैंने कोई भी हक परित्यागपत्र दिनांक 20–02–2017 या अन्य किसी तारीख को वादीगण के पक्ष में पंजीकृत नहीं कराया था। वादीगण ने फर्जी हकत्यागपत्र बनाया है जिससे कोई भी हक अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकते है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 के भरणपोषण का एकमात्र जरिया उक्त आराजियात है इसके अलावा मेरी आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। मैं प्रतिवादी अविवाहित होकर अकेला रहता हूँ व मैं क्योंकर अपने हक हिस्से का परित्याग वादीगण के पक्ष में करूंगा जबकि उनके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है। वादीगण मेरे साथ मारपीट करके मुझे परेशान करते रहते हैं व मेरे हिस्से की जमीन वे हड़पना चाहते हैं। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्तनीय है ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त तथाकथित फर्जी हकत्यागपत्र के आधार पर वादीगण को नामान्तरकरण अपने पक्ष में खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का ने ऐसे फर्जी हकत्यागपत्र के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खोलकर सही काम किया है। चूंकि वादीगण ने फर्जी हकत्यागपत्र बनाया था उसमें जो अंकन "पुत्रों के हक में मौरूसी सत्पत्ति का रिलीज किया जाना" लिखा है वह देवीय कृपा से स्वतः ही हो गया था क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं । इसी झूठ को फेल करने के लिये भगवान ने यह खेल किया है अन्यथा फर्जी व झूठे हकत्यागपत्र के आधार पर वादीगण मेरे हक हिस्से की भूमि अनाधिकार हड़पने में सफल हो जाते। चूंकि मैंने कोई हक त्यागपत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत कराया ही नहीं था तो संशोधित हकत्यागपत्र निष्पादन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वादीगण फर्जी हकत्यागपत्र के आधार पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड से हटवाकर मेरे स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्तनीय है। वादीगण मेरे हिस्से व कब्जेशुदा आवासीय मकान व मेरे हिस्से की उक्त कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे से हड़प करना चाहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का यह वादपत्र सरासर असत्य व आधारहीन होने से सव्यय निरस्त कराया जावें व वादीगण से मुझ प्रतिवादी संख्या 01 को धारा 35 (ए)जा0दी0 के तहत विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 03 लालूराम पिता हरचंद कोली निवासी चर्च के पास, जवाहरनगर भीलवाडा द्वारा निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादपत्र में वर्णित आराजियात सं. 718/1, 723/1, 729/1, 751/1 किता 4 क्षेत्रफल 0.7967 हैक्टेयर (3 बीघा 3 बिस्वा) में मुझ प्रतिवादी सं. 3 का 1/10 हिस्सा दर्ज है और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर में मुझ प्रतिवादी सं. 3 का 1/15 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है अर्थात् वादपत्र की धारा सं. 1 (क) में अंकित आराजियात किता 4 रकबा 0.7967 हैक्टेयर वादीगण चुन्नीलाल, रामनारायण व प्रतिवादी बाबुलाल, लालूराम व अन्य भाई फतहलाल पिता हरचंद जी कोली निवासी भीलवाड़ा के संयुक्त खाते में दर्ज और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 745 रकबा 0.2908 हैक्टेयर चुन्नीलाल फतहलाल बाबूलाल रामनारायण लालूराम कोली व विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें मुझ प्रतिवादी सं. 3 लालूराम का 1/15 हिस्सा व विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 717 रकबा 0.0253 हैक्टेयर गै.मु.आ.चाह मुझ प्रतिवादी सं. 3 लालूराम व अन्य खातेदारान के संयुक्त खाते में दर्ज है।

वादपत्र में जिस तरह से खातेदारान का हिस्सा दर्ज किया गया है वह गलत है बल्कि सही हिस्सा जवाबदावे की में वर्णित अनुसार है। मुझ प्रतिवादी सं. 3 लालूराम की जानकारी के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ने कोई भी हकत्याग पत्र दिनांक 20–02–2017 या अन्य किसी तारीख को वादी के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाया है अगर वादीगण कोई हकत्यागपत्र बताते हैं तो वह सरासर फर्जी है। ऐसे फर्जी दस्तावेज से वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से पटवारी हल्का भीलवाड़ा द्वितीय व प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार सा. भीलवाड़ा ने वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण खोलने से मना कर दिया था। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 सगे भाई हैं जिससे वादग्रस्त भूमि में सभी 5 भाइयों का हिस्सा समान है। वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या व निराधार होने से निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण ने मुझ प्रतिवादी सं. 3 को पक्षकार बनाये बिना धारा 212 रा.टि.ए. के प्रार्थनापत्र सं. 113/2019 में वादग्रस्त आराजियात में मेरे हिस्से पर भी स्टे करवा लिया है जो सरासर गलत है । वादीगण मुझ प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से स्ऐ और अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है वादी का वादपत्र मुझ प्रतिवावदी के विरूद्ध निश्रत होने योग्य है और वादग्रस्त भूमि में मेरे हिस्से की भूमि में जो यथास्थिति का स्थगन का नोट लगा हुआ है उसे अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रकरण संख्या 82/2017 रा0वाद के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 113/2019 को निरस्त कराया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 के हिस्से पर भी जो यथास्थिति के स्थगन का नोट राजस्व रेकार्ड में लगा हुआ है उसे तुरन्त हटाया जावें। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्त कराया जावें।

प्रतिवादी संख्या 04 विजय कुमार पिता सीताराम खटीक निवासी सांगानेर गेट भीलवाडा द्वारा निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादपत्र में वर्णित आराजियात सं. 718/1,723/1,729/1, 751/1 किता 4 क्षेत्रफल 0.7967 हैक्टेयर (3 बीघा 3 बिस्वा) में प्रतिवादी सं. 3 का 1/10 हिस्सा दर्ज है और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 3 का 1/15 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है अर्थात् वादपत्र में अंकित आराजियात किता 4 रकबा 0.7967 हेक्टेयर वादीगण चुन्नीलाल रामनारायण व प्रतिवादी बाबुलाल, लालूराम व अन्य भाई फतहलाल पिता हरचंद जी कोली निवासी भीलवाड़ा के संयुक्त खाते में दर्ज और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर चुन्नीलाल, फतहलाल, बाबूलाल, रामनारायण, लालूराम कोली व मुझ प्रतिवादी विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं. 3 लालूराम का 1/15 हिस्सा व मुझ प्रतिवादी सं. 4 विजयकुमार पिता सीताराम जी खटीक का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और वादपत्र में अंकित आराजी सं. 717 रकबा 0.0253 हैक्टेयर गै.मु. आ.चाह प्रतिवादी सं. 3 लालूराम व अन्य खातेदारान के संयुक्त खाते में दर्ज है। वादपत्र में जिस तरह से खातेदारान का हिस्सा दर्ज किया गया है वह गलत है बल्कि सही हिस्सा जवाबदावे की धारा सं. 1 में वर्णित अनुसार है। मुझ प्रतिवादी सं. 4 विजय कुमार की जानकारी के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ने कोई भी हकत्याग पत्र दिनांक 20-02-2017 या अन्य किसी तारीख को वादी के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाया है अगर वादीगण कोई हकत्यागपत्र बताते हैं तो वह सरासर फर्जी है। ऐसे फर्जी दस्तावेज से वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से पटवारी हल्का भीलवाड़ा द्वितीय व प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार सा. भीलवाड़ा ने वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण खोलने से मना कर दिया था। वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या व निराधार होने से निरस्तनीय है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 4 को पक्षकार बनाये बिना धारा 212 रा.टि.ए. के प्रार्थनापत्र सं. 113/2019 में वादग्रस्त आराजियात में मेरे हिस्से पर भी स्टे करवा लिया है जो सरासर गलत है । वादीगण प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से स्टे और अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी का वादपत्र मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध निरस्त होने योग्य है और वादगस्त भूमि में मेरे हिस्से की भूमि में जो यथास्थिति का स्थगन का नोट लगा हुआ है उसे अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक है ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम केवाड़ा में स्थित उक्त आराजी नं. 746 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि छगना वल्द वीरू कोली को आवंटित हुई थी जो संवत् 2045 से 2048 की जमाबंदी में गैरखातेदारी हक से दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण सं. 268 दिनांक 21-1-1993 से छगना के समस्त वारिसान के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो गई थी । उक्त वादग्रस्त आराजियात में से छगना के पुत्र डालचंद के वारिसान ने उनका 1/3 हक हिस्से का रिलीज डीड लालूराम चुन्नीलाल, रामनारायण, बाबूलाल पिता हरीचंद कोली वगैरह के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिससे उक्त वादग्रस्त आराजियात में उनका 2/3 हक हिस्सा एवं शेष 1/3 हक हिस्सा श्रीमती मोहनी पत्नी खेमचंद कोली, भैरूलाल महेन्द्र, सोना, लाली, सीमा पिता खेमचंद कोली व राधेश्याम पिता कन्हैयालाल, गणेशमल पिता मांगीलाल, श्रीमती गेंदी पत्नी मांगीलाल कोली के नाम पर दर्ज रहा है और इसी हिस्सेनुसार उनका कब्जा चला आ रहा था। उक्त श्रीमती मोहनी वगैरह ने अपना उक्त सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 10-9-2004 तादादी 900/- में श्रीमती मांगीबाई पत्नी नाथूजी कोली को विक्रय कर उसका आधिपत्य करा दिया। श्रीमती मांगीबाई ने उक्त क्रयशुदा 1/3 हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19-11-2004 तादादी 10,000/- रूपये द्वारा मुझ प्रतिवादी सं 4 विजयकुमार आत्मज सीताराम जी खटीक को विक्रय कर मेरा आधिपत्य करा दिया वक्त क्रय से ही मुझ प्रतिवादी सं 4 का ही उक्त क्रयशुदा 1/3 हक हिस्से की भूमि पर अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों दिनांक 10-09-2004 व 19-11-2004 को निरस्त कराने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उक्त लालूराम चुन्नीलाल रामनारायण, बाबूलाल पिता हरीचंद कोली वगैरह ने एक वादपत्र सं. 121/2007 श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय (पश्चिम) भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31-05-2018 को न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर खारिज कर दिया गया है जिसकी प्रति इस जवाबदावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रकरण संख्या 82/2017 रा0वाद के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 113/2019 को निरस्त कराया जाकर मुझ प्रतिवादी संख्या 04 के हिस्से पर भी जो यथास्थिति के स्थगन का नोट राजस्व रेकार्ड में लगा हुआ है उसे तुरन्त हटाया जावें। वादीगण का वादपत्र सर्वथा मिथ्या होने से निरस्त कराया जावें।

उक्त प्रकरण में वादीगण चुन्नीलाल पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली, रामनारायण पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) एवं प्रतिवादी संख्या 01 बाबुलाल उर्फ बालुलाल पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) की और से निम्न राजीनामा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम केवाड़ा प०ह० भीलवाड़ा प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 718/1 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा (0.2276 हैक्टेयर), 723/1 रकबा 00 बीघा 19 बिस्वा (0.2403 हैक्टेयर), 729/ रकबा 00 बीघा 06 बिस्वा (0.0759 हैक्टेयर), 751/1 रकबा 01 बीघा 00 बिस्वा (0.2529 हैक्टेयर) कुल किता 04 कुल रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा (0.7967 हैक्टेयर), आराजी नम्बर 746 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा (0.2908 हैक्टेयर) कुल किता 01 कुल रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा (0.2908 हैक्टेयर), आराजी नम्बर 717 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा (0.0253 हैक्टेयर) कुल किता 01 एक कुल रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा (0.0253 हैक्टेयर) भूमि में निहित प्रतिवादी संख्या 01 का सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र से वादीगण चुन्नीलाल पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली, रामनारायण पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली के पक्ष में दिनांक 20.02.2017 को निष्पादित किया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 01 बाबुलाल उर्फ बालुलाल पिता हरचन्द उर्फ हरिशचन्द कोली स्वीकार करता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक का सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के बराबर-बराबर हिस्सा दर्ज किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें। अतः प्रार्थना है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक और से प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार फरमाया जाकर, राजीनामा अनुसार वाद पत्र को डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम केवाडा के आराजी नम्बर 718/1, 723/1, 729/1, 751/1 कुल किता 04 कुल रकबा 0.7967 हैक्टेयर भूमि चुन्नीलाल पिता हरचन्द हिस्सा 7/20 कोली, फतह लाल पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/10 कोली बाबुलाल पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/10 कोली रामनारायण पुत्र हरचन्द हिस्सा 7/20 कोली, लालूराम पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/10 कोली सा0 भीलवाडा खातेदार दर्ज है। आराजी नम्बर 717 रकबा 0.0253 हैक्टेयर संयुक्त रूप से 17 व्यक्तियों के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 746 रकबा 0.2908 हैक्टेयर चुन्नीलाल 7/30, फतेहलाल 1/15, बाबूलाल 1/15, रामनारायण 7/30, लालूराम 1/15 कोली, विजयकुमार खटीक 1/3 सा0 सांगनेर के संयुक्त दर्ज रेकार्ड है।

वादीगण के वादपत्र एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया गया। राजीनामा वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य किया गया। वादीगण का वादपत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क आर0टी0ए0 का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा में वादग्रस्त उपरोक्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का कितना–कितना हिस्सा रहेगा अंकन नहीं है। राजीनामा निर्धारित लेख्यपत्र पर पक्षकारों को पंजीबद्ध कराना होगा। जिसमें आराजी नम्बर, क्षेत्रफल, हिस्सा स्पष्ट अंकन करें तदुउपरान्त उपपंजीयक नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शूल्क पर राजीनामा दस्तावेज का पंजीयन करें। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जाती है। राजीनामा पंजीबद्ध होने के पश्चात् तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की कार्यवाही करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [redacted]क कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82 / 2017	14.11.2017	02.06.2025

1. चुन्नीलाल पिता हरचंद उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा।
2. रामनारायण पिता हरचंद उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा।

–– वादीगण

बनाम

1. बाबुलाल उर्फ बालुलाल पिता हरचन्द उर्फ हरीशचन्द कोली निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाडा हाल बापुनगर भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
3. लालूराम पिता हरचंन्द उर्फ हरीशचन्द कोली, निवासी चर्च के पास, जवाहरनगर भीलवाडा
4. विजय कुमार पिता सीताराम खटीक, निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाडा

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा – 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता वादीगण श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 की और से श्री भैरूलाल बापना उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख .... 08.06.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क आर0टी0ए0 का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा में वादग्रस्त उपरोक्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का कितना–कितना हिस्सा रहेगा अंकन नहीं है। राजीनामा निर्धारित लेख्यपत्र पर पक्षकारों को पंजीबद्ध कराना होगा। जिसमें आराजी नम्बर, क्षैत्रफल, हिस्सा स्पष्ट अंकन करें तदुउपरान्त उपपंजीयक नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शूल्क पर राजीनामा दस्तावेज का पंजीयन करें। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जाती है। राजीनामा पंजीबद्ध होने के पश्चात् तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की कार्यवाही करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा